

परियोजना का नाम :-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिक्कोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

### क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि का विवरण

| क्रम सं० | ग्राम का नाम    | खसरा नंबर | वृक्षारोपण हेतु लिया गया क्षेत्रफल (हे० में) |
|----------|-----------------|-----------|----------------------------------------------|
|          | हुज्ज, चक्रे    | 10775     | 8.176                                        |
|          |                 |           |                                              |
|          |                 |           |                                              |
|          |                 |           |                                              |
|          |                 |           |                                              |
|          |                 |           |                                              |
|          |                 |           |                                              |
|          | सम्पूर्ण योग :- | 10775     | 8.176 हेक्टेयर                               |

अमीन कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशाली अभियन्ता  
प्रा० खं० लो० नि० वि०,  
गोपेश्वर

राष्ट्र उपाधि  
चमोली / डिग्री

तहसीलदार  
(सदर)  
चमोली

उप निरीक्षक  
उप निरीक्षक  
चमोली

वर्ष प्रेक्षक.

मौजा कुसुमभद्रा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र दिलका तहसील ..... व जिला चमोली ।

(5)

[illegible]

ह० राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र  
दिनांक:



$$\frac{1000}{1000000}$$

1877-2001 69.79% ମୂଲ୍ୟ 8.176 ମିଲି-ଗ୍ରାମ

३. दीर्घ

कर्मणि।  
आदि।

५॥१५॥ देव देव लङ्का देव देव

संख्या १० अर्ध  
पत्रिका - मद्रास  
जि.सं. गद.

10031  
2010-11-15  
2010-11-15



क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

परियोजना का नाम:-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उपरोक्त योजना हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि का चयन कर लिया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति मिलने पर हस्तान्तरण की कार्यवाही कर ली जायेगी। खसरा नम्बर 1877 कुजौं-मैकोट क्षतिपूरक स्थल हेतु दिया जाता है।

  
अधिसासी अभियन्ता  
अधिसासी अभियन्ता  
ग्रामीण विकास विभाग  
प्रां० खं० लो० नि० वि०,  
गोपेश्वर

  
जिलाधिकारी,  
चमोली

परियोजना का नाम:-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल उपयुक्त प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण हेतु ..... 8.176 हे० ११ अ० ११ सिकोटी सिविल भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त स्थल है।

वन क्षेत्राधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी  
चमोली रेन्ज  
राष्ट्रीय वन प्रभाग पोपनगर

उपवन संरक्षक,

जिल्ला वन क्षेत्राधिकारी  
बटोनाथ वन भा।  
भापश्वर (चमोली)